

तारीख हुक्म निर्णय	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्वरूप 45- दीन मोहम्मद पुत्र मंडेरवां दिनांक 7/3/17 धारा 91 CR Act 1956 मु. सं. 2/17	नम्बर अहक हुक्म में
7/3/17	<p>पत्रावली पेश हुई। और सामान्य अतिक्रमी उपस्थित संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मौलवा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि राजकीय भूमि खोहरा आ. ख. नं. 103 कुल रकबा 1.64 है, जिसमें खण्ड कडीम पर श्री दीन मोहम्मद पुत्र मंडेरवां कौम भेव सा. खोहरा लख. कामा द्वारा 0.20 हैक्टे. रकबा पर जिस सारसे लेकर नाजायज अतिक्रमण करविमा है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रिज. किया जाकर और सामान्य के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में और सामान्य अतिक्रमी उप. अडालत आये। तथा नोटिस का प्रभाव उद्घृत नहीं किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया अतिक्रमण खण्ड कडीम जो कि राजकीय एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिसमें अतिक्रमियों के वेस्टबल किया जाना उचित है।</p> <p>अतः आदेश है कि राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों श्री दीन मो. पुत्र मंडेरवां कौम भेव सा. खोहरा को आ. ख. नं. 103 रकबा 0.20 हैक्टे. पर खोहरा में कसल सारसे लेकर किये अतिक्रमण के वेस्टबल किया जाता है। एषा लगान 1.80 की पच्चास गुणा अर्थ = 90/- रुपये (नब्बे रुपये) से दण्डित किया जाता है। जिसकी T.R.S. का मांग कायम कराई जाये व पटवारी हल्का को पैनलही पडूली एवं वेस्टबली हेतु तथा ट्वाडी फसल के नीलाप कर फई नीलाभी स्वीकृति हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुभ्र होकर बाद तकमील इतिवत् इफ्तार है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 7/3/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार</p>	

2000000000

दिनांक .....  
 पृष्ठ नं० ११-१०  
 कायमी की मई।